



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CS

सं० 197]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 1982/आषाढ़ 8, 1904

No. 197]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 1982/ASADHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नियम

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 1982

सांकां नि० 476(अ).—द्वारा अधिमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियमों द्वारा अधिमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भाग्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सांकां नि० 469(प्र) तारीख 3 अगस्त, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3 अगस्त, 1981 के पृष्ठ 1449-1450 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा देने की तारीख से तब तक दिन की समाप्ति के पूर्व उक्त सभी व्यक्तियों से आक्षेप और मुझाव मागे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 अगस्त, 1981 को जनता को उपलब्ध थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों की अपेक्षा प्राप्त आक्षेपों और मुझावों पर विचार कर लिया है.;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए द्वारा मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अधिमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए अधिसूचना नियम, 1982 की अपेक्षा

- (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम खाद्य अधिमिश्रण निवारण (पांशुओं संशोधन) नियम, 1982 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खाद्य अधिमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 44 के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
"परन्तु यह और कि खंड (अ) से संबंधित उन सामाजिक खाद्य वस्तुओं को, जिनके लेबल नियम 37 के उपबन्धों के अधीन अनु-सोवत किए जाते हैं, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी।"

[सं० पी० 15014/9/S1-पी एच (एक गण्ड एन) पी ए एफ]
भार०के० मिश्रण, संयुक्त सचिव


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 1982

G.S.R. 476(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by Sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act 1954 (37 of 1954) with the notification of the Government of India in the Ministry



of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 469(E) dated 3rd August, 1981 at pages 1449 to 1450 of the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 3rd August, 1981 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of ninety days from the date on which the copies of the official Gazette in which the said notification was published were made available to the public ;

And whereas the copies of the said Gazette were available to the public on 3rd August 1981 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These Rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Fifth Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 44, after the first proviso, the following further proviso shall be added, namely :—

“Provided that proprietary food articles relating to clause (i), the labels of which are approved under the provisions of rule 37-A, shall be exempted from the operation of this rule.”

[No. P. 15014/9/81-PH(F&N) PFA]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.